रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122020-223458 CG-DL-E-03122020-223458

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3829] No. 3829] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 3, 2020/अग्रहायण 12, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 3, 2020/AGRAHAYANA 12, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 3 दिसम्बर. 2020

का.आ. 4367(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तीसरा संशोधन नियम, 2020 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के, उप-नियम (3) के, खंड (घ) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"परंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-2021 में समाप्ति में अधिसूचना या नियम या आदेश की वैधता कोविड-19 महामारी के कारण 30 जून, 2021 तक विस्तारित की जाएगी।"।

[फा. सं. 25/03/2010-ईएसजेड]

डॉ. सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

टिप्पणः मूल नियम संख्यांक का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवंबर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3235(अ), तारीख 22 सितंबर, 2020 को अंतिम संशोधन किया गया थाः

5900 GI/2020 (1)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2020

- **S.O.** 4367(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:
 - 1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2020.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in rule 5, in sub-rule (3), for the proviso in clause (d), the following shall be substituted, namely:-
 - "Provided that for the purpose of this clause, the validity of notification or rule or order expiring in the Financial Year 2020-2021 shall stand extended upto 30th June, 2021 on account of COVID-19 pandemic.".

[F.No.25/03/2010-ESZ]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

Note: The principal rules were published *vide* number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and was last amended *vide* notification number S.O. 3235(E), dated the 22nd September, 2020.